

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002  
संख्या: अद्धारह-233-(एसआई लेखा) 2023      दिनांक: लखनऊ: फरवरी २० 2024

## आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-10(31)-2023 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 19 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा विभागीय चयन समिति की संस्तुति को अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप उपयुक्त पाये गये 19 कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक: 31.01.2024 तक उपलब्ध 15 रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा चुका है।

2. दिनांक: 29.02.2024 को पुलिस निरीक्षक(लेखा) के 01 कर्मी के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के कारण वर्तमान में पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद की 01 रिक्ति विद्यमान हैं, जिसके सापेक्ष अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक-16 पर अंकित कर्मियों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
16	22	930680235	कु0सीमा देवी	स्व0 सत्यपाल सिंह	12-07-1973	अलीगढ़	2023

3. पदोन्नति पाये उपरोक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89—का—1—1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों—

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6— यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जारही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

  
(अमृता मिश्रा )

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना  
निमि० अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषितः—

- 1—अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ता एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2—अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, आगरा।
- 3—पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।
- 4—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।

## स्वघोषणा—पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)—————

पुत्र

निवासी—————

थाना—————

जनपद—————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)—————

हूँ कि:-

नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता

(1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई—————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:—————को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0—————धारा—————थाना—————

जनपद—————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:—————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी—————द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में—————स्तर पर चल रहा है।

2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा—पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ  
नियुक्त स्थान—  
दिनांक:—

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा—पत्र के प्रस्तर—1 के उपप्रस्तर—(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।